क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न अधियाचना जो निदेशक, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पटना के **पत्रांक–20/दिनांक–20.04.2015** द्वारा मौजा–समदानाला, मौजा–रामपुर में कुल–रैयती भूमि — **120.79 एकड़** — **31.27 एकड़** भूमि **आई0 डब्लु टी0 टी0** के निर्माण कार्य हेतु भू–अर्जन प्रस्ताव भूमि अर्जन,पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के आलोक में कार्रवाई की गयी। भू–अर्जन हेतु कार्रवाई के दौरान संदर्भित मौजा केआम जनताओं के द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु विरोध प्रदर्शित किया। लेकिन प्रशासनिक पहल के कारण विरोध को सफलतापूर्वक निपटाने की कार्रवाई की गई जिसके चलते काफी समय व्यतीत हो गया है एवं सामाजिक प्रस्ताव का मूल्यांकण की कार्रवाई नियमावली के अनुरूप कार्रवाई किये जाने में काफी समय लग जाने का सामना करना पड़ सकता है। प्रारंभिक अधिसूचना भूमि अधिग्रहण हेतु अधिनियम–30/2013 की धारा 11(1) के अधीन अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज के ज्ञापांक–105 एवं 106/भू0 अर्जन, दिनांक–04.07.2015 द्वारा निर्गत् की गई है लेकिन निर्गत् अधिसूचना के विरूद्ध निर्धारित अवधि अन्तर्गत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार संशोधन अध्यादेश–2014 की कंडिका 5 के द्वारा भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में जोड़े गये अध्याय–III A की धारा 10A में लोक प्रयोजन के निमित परियोजनओं के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए उक्त अधिनियम के अध्याय–II एवं अध्याय–III के उपबन्ध लागू नहीं होगे। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा का पत्र संख्या–09/2015/दिनांक–24.07.2015 द्वारा परियोजना कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रकिया यथाशीघ्र किये जाने हेतु भूमि अर्जन,पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में (संशोधन) अध्यादेश–2014 के द्वारा जोड़े गये धारा 10 (A) के अनुसार राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी आधारभूत परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने हेतु एवं भूमि अधिग्रहण की प्रकिया के त्वरित निष्पादन हेतु अधिसूचित रकवा जो प्रस्तावित है को समाजिक प्रभाव मूल्यांकण से विमुक्ति किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव नियमावली–2015 की धारा–31 अन्तर्गत प्रतिकर की राशि उन सभी पक्षकारों को इसका भुगतान किया जायेगा जिनकी भूमि या अन्य अचल समपत्ति का अर्जन किया गया हो जिसका बाजारमूल्य दर प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत् की तिथि से प्रभावी होगा तथा भू–अर्जन के लिए बांछित राशि का भुगतान सक्षम पदाधिकारी के खाते से भू–धारी के खाते में किया जायेगा।	

अतएव झारखण्ड भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 का अध्याय–III अन्तर्गत कंडिका–05 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा **आई0 डब्लु0 टी0 टी0** परियोजना के लिए अंचल–साहेबगंज अर्न्तगत् मौजा–समदानाला एवं रामपुर में अवस्थित रैयती भूमि के अर्जन में अध्याय-II एवं III के उपबंधो से छूट देते हुए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकण से मुक्त किया जाता है।

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ,साहेबगंज को निर्देश दिया जाता है उल्लेखित आदेश की प्रति अद्योहस्ताक्षरी के वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक– /रा0,दिनांक–

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :–उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, साहेबगंज, अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि–निदेशक, भारतीय अर्न्तदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, विहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक– /रा0, दिनांक–

प्रतिलिपि :–आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल,दुमका को सादर सूचनार्थ समर्पित्।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक– 141 /रा0, दिनांक– 06/8/2015

प्रतिलिपि :–सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची को सादर सूचनार्थ समर्पित्।

उपायुक्त,
साहेबगंज।